


# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 31 T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में										
28/10/2020	<p>जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती <u>रतन मिर्धा</u> पिता/पति <u>केदर मिर्धा</u></p> <p>मौजा <u>874</u> थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- <u>84</u></p> <p>में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- <u>15</u> / <u>70-71</u> के आधार पर दर्ज है।</p> <p>जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के <u>पिछी जमिन</u> के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी सिद्ध है।</p> <p><b>भूमि की विवरणी:-</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>मौजा</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>874</u></td><td><u>264</u></td><td><u>145</u></td><td><u>1466, 1304</u></td><td><math>\frac{2.10}{0.75}</math> <u>2.85</u> (कम)</td></tr></tbody></table>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा	<u>874</u>	<u>264</u>	<u>145</u>	<u>1466, 1304</u>	$\frac{2.10}{0.75}$ <u>2.85</u> (कम)	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा								
<u>874</u>	<u>264</u>	<u>145</u>	<u>1466, 1304</u>	$\frac{2.10}{0.75}$ <u>2.85</u> (कम)								
	<p>सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- <u>07/11/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी अड़की।</p>											

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये हैं।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती.....रत्न किर्वा..... पिता/पति कुंदरा किर्वा मौजा-.....थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा-अड़की.....थाना नं० 264.....खाता सं० 105.....प्लॉट सं० 1466, 1304 रकबा-2.85 (पाई) लगान 14.15 रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनु रूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-अड़की.....थाना नं० 264.....के पंजी- II भौलुम (VOL-III.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।